


630
22/1/13

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०, कैम्प रोवा, जिला
रीवा म०प्र०



R-4378-11/13

विश्वनाथ पटेल पिता श्री रामखेलावन पटेल निवासी ग्राम महमूदपुर, तहसील
मनगवां, जिलारीवा, म०प्र० - निगरानीकर्ता

बनाम

रमेश पटेल पिता श्री रामगुलाम पटेल, निवासी ग्राम महमूदपुर, तहसील मनगवां
जिलारीवा, म०प्र० - गैरनिगरानीकर्ता

अधिमो श्री नागेन्द्र पटेल
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दि. 22.10.13

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सिस्टम कोर्ट) रीवा

2-12-13

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय तहसीलदार
महोदय, तहसील मनगवां जिलारीवा के प्र. क्र.
516/बी/121/2012-13 मे पारित आदेश दि
8.7.13 के द्वारा आराजी नं० 1832/1,
1832/2, 1832/3, 1832/4 स्थित ग्राम महमूद
पुर, तहसील मनगवां मे किये गये सीमांकन के
विरुद्ध ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
संहिता 1959 ई. ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 8.7.13 विधि
एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण निरस्तगी योग्य है ।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश...


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.4378-III/13

जिला-रीवा

विश्वनाथ पटेल / रमेश पटेल

(1)	(2)	(3)
25.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	